

अन्तर्गत धारा:-.....

ख हुकम

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्य जज

15/10/2025

वकील शर्मा उपस्थित है। वकील शर्मा द्वारा नवीन प्रार्थना पत्र
 पेश करने के अपने अधिकारी को सुरक्षित रखते हुये प्रार्थना पत्र
 विहीन किये जाने वास्तव में निवेदन किया गया। वकील शर्मा को जुना
 जमा। वकील शर्मा द्वारा न्यायालय से निवेदन किया गया कि
 प्रार्थना पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।
 अतः नवीन प्रार्थना पत्र पेश करने के अपने अधिकारी को
 सुरक्षित रखते हुये प्रार्थना पत्र विहीन करते हैं। रजि वास्तव
 वकील शर्मा द्वारा फावली आदेशिका पर रिप्लीफर्न है।
 वकील शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नहीं
 चाहते हैं। प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही
 अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः वकील शर्मा के मौखिक
 निवेदन तथा फावली आदेशिका पर अंकित रिप्लीफर्न की
 स्वीकार किया जाकर नवीन प्रार्थना पत्र पेश करने के प्रार्थना पत्र
 अधिकारी को सुरक्षित रखते हुये प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही
 इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। फावली फैसल नुमांश
 1 नम्बर से 3 नम्बर तक दायित्व दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
 मिनाय (अजमेर)